राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प0 27 (12) चिस्वा/02/2017 जयपुर, दिनांक 23.03.2017

M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai

अपीलान्ट

बनाम

कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील संख्या 12/2017
अपील अन्तर्गत धारा 38 (1),राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012

निर्णय दिनांक 23.03.2017

प्रस्तुत अपील पर, सुनवाई दिनांक 22.03.2017 को की गई। अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से अधिवक्ता श्री सुकृति कासलीवाल एवं फर्म के प्रतिनिधि श्री विभोर साहनी उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से प्रबन्ध निदेशक,आरएमएससीएल, कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक–I (ई.पी.एम.), वरिष्ठ प्रबंधक–II (ई.पी.एम.) एवं कन्सलटेन्ट बायोमेडिकल इन्जीनियर (अभिलाष सोनी) प्रबन्धक (धनश्याम शर्मा) उपस्थित हुये। एवं तकनीकी समिति सदस्यों को संबोधित करते हुए डॉ राजाराम बासीरा उपस्थित हुये।

प्रस्तुत प्रकरण में **M/s Remi Elektrotechnik Ltd,Mumbai** द्वारा आरएमएससी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.8(85)आरएमएससी/ईपीएम/एम–1/एनआईबी/184/2017/853 दिनांक 06.03.2017 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई। इसमें आरएमएससीएल एवं **M/s Remi Elektrotechnik Ltd** तथा तकनीकी समिति के सदस्य डॉ. एस.एस. चौहान, निदेशक, एड्स दिनांक 14.03.2017 को सुना गया। जिसमें प्रबन्ध निदेशक,आरएमएससी ने अवगत कराया कि प्रकरण में M/s Vision Diagnostic को LOA जारी किया जा चुका है। अतः प्राकृतिक न्याय के विरूद्व धारा 38 (1),राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत M/s Vision Diagnostic को पक्षकार बना कर सुनवाई दिनांक 22.03.2017 को निर्धारित की गयी। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी फर्म द्वारा यह अवगत कराया कि M/s Thermofischer कम्पनी की मशीन भी Similar Technical grounds पर ही है एवं अपीलार्थी फर्म की मशीन के समान्तर है।

प्रबन्ध निदेशक, आरएमसीएल ने सुनवाई के दौरान अवगत कराया कि धारा 38 (1),राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत उक्त अपील स्वीकार योग्य नहीं है,

तकनीकी समिति के सदस्य योग्य, अनुभवी एवं पूर्णतः सक्षम है एवं उनकी योग्यता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।

अपीलार्थी फर्म द्वारा पुनः तकनीकी जांच के दौरान प्रस्तुत की गई मशीन में कुछ मूल–चूल परिवर्तन किये गये, जिससे आरएमएससी की निविदा की शर्तो का उल्लंघन होता है। राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के नियमों के अन्तर्गत तकनीकी समिति ने अपनी तकनीकी रिपोर्ट निविदा में जारी तकनीकी स्पेसिफिकेशन के आधार पर जारी की है। जिसके आधार पर यह मशीन स्वीकार योग्य नहीं है।

पत्रावली देखने तथा बहस सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि विभाग के पत्रांक 853 दिनांक 06.03.2017 द्वारा अपीलार्थी फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित करने के संबंध में जो कारण बताये है वह पर्याप्त है एवं अपीलार्थी फर्म द्वारा उठाये गये बिन्दु संतोषजनक नहीं हैं।

आदेश

उपरोक्त कारण से अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से अपास्त करते हुए निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जावे एवं राज्य उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जावें। पत्रावली निर्णय मे सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाती है।

अपीलीय अधिकारी
एवं शासन सचिव